सत्यमेव जयते
न्यायालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन
COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES (DIVYANGJAN)
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग/**Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)**
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय/**Ministry of Social Justice & Empowerment**
भारत सरकार/**Government of India**
5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075; दूरभाष : (011) 20892364
5th Floor, N.I.S.D. Bhawan, G-2, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075; Tel.: (011) 20892364
Email: ccpd@nic.in; Website: www.ccdisabilities.nic.in

परिवाद संख्या 14416/1011/2023

के मामले में —

श्री महेश कुमार **... परिवादी**

बनाम

(1) सचिव,
रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय,
भारत सरकार **... प्रतिवादी सं. 1**

(2) अध्यक्ष,
रेलवे भर्ती कक्ष, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे,
बिलासपुर (छत्तीसगढ़) **... प्रतिवादी सं. 2**

1. परिवाद का सार —

1.1 श्री महेश कुमार, 42% गति विषयक (एक हाथ) दिव्यांग व्यक्ति ने दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे जोन में समूह "ग" के पदों पर भर्ती हेतु नियुक्ति पत्र जारी करने से मना/विलम्ब करने से सम्बन्धित एक परिवाद दिनांक 16 अगस्त 2023 इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

1.2 परिवादी ने रेलवे भर्ती केन्द्र बिलासपुर जोन से समूह 'ग' का परीक्षा फ़ॉर्म भरा था और परीक्षा पास करने के बाद मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया था। जिसके बाद 09 फ़रवरी 2023 को परिवादी का दस्तावेज सत्यापन और मेडीकल परीक्षण करवाया गया। उसके बाद 29 में से 16 अभ्यर्थी को नियुक्ति दे दी गई और 11 को यह कहते हुए पैनल में

सम्मिलित नहीं किया गया की नोटिफिकेशन के पोस्ट पैरामीटर के अनुसार हाथ से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कोई पद अनुकूल ही नहीं है। तब परिवादी ने रेलवे भर्ती केन्द्र बिलासपुर जोन के अध्यक्ष से मिलकर यह बात रखी की यदि परिवादी किसी पद के लिए पात्र ही नहीं थे तब उनका आवेदन-पत्र स्वीकार कैसे किया गया? और उसके बाद फॉर्म भरते समय यह साफ-साफ लिखा गया था कि अभ्यर्थी एक हाथ से दिव्यांग है जिस पर अध्यक्ष महोदय ने इन बातों पर सहमती जताई और आवेदन स्वीकार कर अपने उच्च अधिकारियों से बात करने के बाद आगे की कार्यवाही करने की बात कही थी। और उन्होंने उचित कदम उठाते हुए दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे जोन में हाथों से अस्थिबाधित दिव्यांग के खाली पदों की जानकारी मँगवाई और उन्होंने प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए अनुमति हेतु रेलवे बोर्ड दिल्ली को पत्र लिखा लेकिन 02 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी रेलवे बोर्ड दिल्ली से अभी तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई है जिससे परिवादी और अन्य अभ्यर्थी बेरोजगार बैठे हैं और मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। यदि दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे जोन नियुक्ति देने के लिए तैयार है, तो रेलवे बोर्ड का अनुमती न देना मानवीय आधार पर न्यायसंगत नहीं है।

1.3 परिवादी ने इस सन्दर्भ में जल्द से जल्द न्यायसंगत कार्यवाही हेतु निवेदन किया

2. प्रतिवादी को नोटिस जारी —

इस मामले को (1) सचिव, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, दिल्ली; और (2) अध्यक्ष, रेलवे भर्ती केन्द्र, दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के साथ उठाया गया और नोटिस दिनांक 23 अगस्त 2023 जारी कर शपथ-पत्र पर परिवाद से सम्बन्धित उनकी टिप्पणी 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

3. प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत उत्तर —

3.1 निदेशक स्थापना (एन), रेलेवे बोर्ड (प्रतिवादी संख्या 1) ने अपने पत्र दिनांक 18 सितम्बर 2023 की एक प्रति इन न्यायालय को पृष्ठांकित करते हुए अध्यक्ष, रेलवे भर्ती कक्ष, दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर को इस मामले से सम्बन्धित विस्तृत उत्तर इस न्यायालय को सीधे प्रस्तुत करने और इसकी एक प्रति परिवादी एवं उनके कार्यालय को सूचनार्थ भेजने के निर्देश दिए।

3.2 अध्यक्ष, रेलवे भर्ती कक्ष, दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर (प्रतिवादी संख्या 2) ने उत्तर दिनांक 22.09.2023 प्रस्तुत कर अन्य बातों के सात कहा कि भर्ती सूचना संख्या 01/2019 के द्वारा सातवें वेतनमान में स्तर-1 पर 1664 रिक्तियाँ दक्षीण-पूर्व मध्य रेलवे के लिए प्रकाशित की गई थी जिनमें कुल 84 रिक्तियाँ बेन्चमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित थे — गति विषयक 29 पद, दृष्टि दिव्यांग 19, श्रवण दिव्यांग 29 और बहु दिव्यांग 07 पद। तथापि, गति विषयक (एक हाथ) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कोई पद आरक्षित नहीं किया गया था। भर्ती विज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया था कि

अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा आवेदित पद के लिए वांछित चिकित्सा मानकों को वे पूरा करते हैं। जो अभ्यर्थी अपने चुने हुए पद के लिए चिकित्सीय रूप से अयोग्य पाए जाएँगे उन्हें भर्ती सूचना के बिन्दु संख्या 8 पर उल्लेखित प्रावधान के अनुसार कोई वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी। सभी 29 गति विषयक अभ्यर्थियों को चिकित्सीय परीक्षण के लिए बुलाया गया जिनमें से 02 अनुपस्थित रहे, गति विषयक-एक हाथ दिव्यांग के 10 अभ्यर्थी थे और 17 गति विषयक-एक पैर से दिव्यांग थे। सभी 17 गति विषयक-एक पैर से दिव्यांग अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु सूचीबद्ध किया गया। गति विषयक-एक हाथ से दिव्यांग अभ्यर्थियों में से किसी भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु सूचीबद्ध नहीं किया गया क्योंकि कोई पद गतिविषयक-एक हाथ से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए चिन्हित नहीं किया गया था।

4. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर —

4.1 परिवादी ने अपना प्रत्युत्तर दिनांक 13 अक्तुबर 2023 प्रस्तुत कर कहा कि —

(1) यदि गतिविषयक-एक हाथ से दिव्यांग अभ्यर्थीगण किसी पद के लिए योग्य ही नहीं थे तो उनका आवेदन-पत्र स्वीकार क्यों किये गए,

(2) इससे पहले जब रेलवे में टेक्नीशियन की पोस्ट आयी थी तब उसमे गतिविषयक दिव्यांग के लिए पद नही थे तो फॉर्म ही नही भरा जा सकता था लेकिन समूह 'ग' में ऐसा क्यों नही था,

(3) यदि सारी प्रक्रियाएँ पूर्ण करने के बाद यह बोल देना की पद ही नहीं है तो हमारा फॉर्म नहीं लिया जाना चाहिए था जिससे हम किसी अन्य रेलवे भर्ती केन्द्र में आवेदन करते,

(4) फॉर्म भरते समय साफ साफ "एलडी/ओए" लिखा गया है फिर ऐसी लापरवाही कैसे हो सकती है। किसी से सारी प्रक्रियाएँ पूर्ण करवाने के बाद उसे ऐसे नियुक्ति से वंचित करना कहाँ तक उचित है?

(5) पूर्व अध्यक्ष (डॉक्टर अंशुमान मिश्रा) के समक्ष सारी बातें रखी थी उन्होंने इन बातों पर पूर्ण सहमती जताई थी और नियुक्ति देने की बात कही थी। उन्होंने एसईसीआर जोन बिलासपुर में एलडी/ओए के खाली पदों की जानकारी मंगाई थी जिसमे पद खाली थे और उन्होंने रेलवे बोर्ड दिल्ली की अनुमती मिलने के पश्चात् नियुक्ति देने की बात कही थी। लेकिन वर्तमान अध्यक्ष महोदय उनसे विपरीत बातें रख रहे हैं।

(6) रेलवे से जीता नहीं जा सकता केवल प्रार्थना की जा सकती है की मानवीय आधार पर न्याय करें और नियुक्ति दें।

(7) माननीय उच्चत्तम न्यायालय के एक फैसले - केस संख्या LL 2021 SC 102 अनमोल कुमार VS झारखंड राज्य सरकार में साफ साफ कहा है की मेरिट में

आने के बाद भी उसे नियुक्ती न देना उसके मौलिक अधिकार अनु. 14 और 16 का उल्लंघन है।

5. **मामले की वर्तमान वस्तु स्थिति —**

5.1 इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.06.2025 को दोनों पक्षों – परिवादी और प्रतिवादीगण से मामले की वर्तमान स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए गए, ताकि इस मामले में अग्रिम कार्यवाही / सुनवाई की जा सके।

5.2 परिवादी ने इमेल दिनांक 19.06.2025 को अन्य बातों के साथ कहा कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, बिलासपुर के समक्ष केस दायर किए 1-2 वर्ष बीत गए हैं, परन्तु अभी तक न्याय नहीं मिल सका है। इससे पहले भी परिवादी ने दिनांक 24.01.2024 को इमेल के द्वारा त्वरित सुनवाई न होने के कारण इस न्यायालय से अपना केस वापस लेने का अनुरोध किया था, परन्तु इस बात का उल्लेख नहीं किया था कि वह इस मामले को माननीय कैट बिलासपुर के समक्ष उठाया है।

5.3 प्रतिवादी संख्या 2, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अपने पत्र दिनांक 23.06.2025 में कहा कि नियुक्ति से इनकार किए जाने के जवाब में, परिवादी ने माननीय CAT बिलासपुर के समक्ष एक ऐसा ही मामला OA No. 203/406/2024 दायर किया है, जो वर्तमान में विचाराधीन है।

6. **अवलोकन और सुझाव —**

6.1 उपरोक्त तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, इस मामले में इस न्यायालय द्वहारा अग्रिम किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिवादी दिनांक 24.01.2024 को ही माननीय CAT बिलासपुर (मध्य प्रदेश) के समक्ष इस मामले को प्रस्तुत कर चुका है।

6.2 तदनुसार, इस मामले को वापस लिया गया/विचाराधीन मानते हुए बंद किया जाता है।

Digitally signed by
S Govindaraj
Date: 14-08-2026
16:34:16

(एस. गोविन्दराज)
आयुक्त - दिव्यांगजन